31.5.18 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प पंसेरी पेश हुई। पक्षकार हाजिर। प्रमाणों का अवलोकन किया प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी वाक्यात्त ख०न० 885 नया पुराना ख०न० 550 का जो शेष रकबा .097 है० नये ख०न० 762 व 904 मे मिलाया उन नये ख०न० मे पूर्व माफिक रिकार्ड के रकबा 8.62 हैक्टर दर्ज नही कर 7.65 है० दर्ज किया जिससे प्रार्थीगण की आराजी मे 0.97 है० रकबा कम दर्ज किया अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करावे। तहसीलदार जसवन्तपुरा ने जवाब पेश कर बताया कि मिलान क्षेत्रफल 1981-89 के अनुसार ख०न० 762, 904 गत ख०न० 550 से नही बने है उक्त भूमि सरकारी भूमि है व रास्ता चल रहा है प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा नही है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही करावे। हमने प्रमाण अवलोकन किया गया प्रथम द्रष्टया वादग्रस्त आराजी सरकारी भूमि है एवं

नेत्थीराम

[signature]

(2)

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा.................... प्रकरण संख्या............/............

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी की खातेदारी भूमि नहीं है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। चुंकि वादग्रस्त आराजी बाबत न्यायालय हाजा मे खातेदारी हक का एक वाद विचाराधीन है जो साक्ष्य दस्तावेज के पश्चात विधि सम्मत निर्णय पारित हो सकेगा ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा का अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 31.5.18 को कोर्ट कैम्प पंसेरी सुनाया गया। sd/- 31/5/18	